छोटे औद्योगिक पार्क के लिए स्टाम्प ड्यूटी से छूट

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। नए उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को जिलाधिकारी ने छोटे औद्योगिक पार्क विकसित करने का सुझाव दिया है। बताया कि सरकार से विशेष सुविधाएं हैं। स्टैम्प ड्यूटी में छूट के साथ एक फीसदी ब्याज पर ऋण दिया जाएगा।

गुरुवार कलेक्ट्रेट में डीएम सूर्य पाल गंगवार ने निवेशकों और संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक में निवेशकों को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए आगे आने की अपील की। डीएम ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2023 में जो एमओयू हुए हैं, उनसे संबंधित निवेशकों, संबंधित विभागों से समन्वय किया गया है। जो उद्योग धरातल पर उतरने को तैयार हैं, उनका ब्योरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। बैठक में डीएम ने नए उद्योगों को स्थापित करने वाले उद्यमियों से संवाद किया।

इकाइयों की स्थापना में समस्याएं पूछी और कहा कि कोई भी समस्या है तो तत्काल जानकारी दें। बैठक में जिलाधिकारी ने भूमि खरीद से म्यूटेशन, लैंड यूज चेंज, 12.5 एकड़ से अधिक जमीन की खरीद, मानचित्र अप्रूवल आदि प्रक्रिया समझाई।